



2026:AHC:124504

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 18005 / 2026

उमंग चौहान

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : मुकेश चंद्र गुप्ता, शुभम प्रकाश गुप्ता

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शुभम प्रकाश गुप्ता तथा राज्य को ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री आनंद प्रताप सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. वर्तमान जमानत आवेदन, विचारण के लंबित रहने के दौरान, मुकदमा अपराध संख्या 121 / 2026, अंतर्गत धारा 111, 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं धारा 3/5/12/25/25(7) शस्त्र अधिनियम, थाना- इंचाउली, जिला- मेरठ में आवेदक को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, प्रारंभ में पुलिस द्वारा एक कुलदीप को गिरफ्तार किया गया था, जिसने उन्हें सह-अभियुक्त इमरान द्वारा चलाए जा रहे एक अवैध हथियार कारखाने के बारे में सूचित किया था। तत्पश्चात, वह पुलिस को इमरान के कारखाने तक ले गया। इसके बाद इमरान को आपत्तिजनक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया और उसने अपने इकबालिया बयान में सूचित किया कि आवेदक भी उससे अवैध हथियार खरीदने के बाद बाजार में बेचने में सल्लिप्त था। इसके बाद, आवेदक को भी गिरफ्तार कर लिया गया और आवेदक से एक पिस्तौल की झूठी बरामदगी भी दिखाई गई।

4. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि स्वीकार्य रूप से, अवैध हथियारों के निर्माण के लिए एक अवैध कारखाना सह-अभियुक्त इमरान द्वारा चलाया जा रहा था और आवेदक का उक्त कारखाने से कोई सरोकार नहीं है, फिर भी उसे केवल सह-अभियुक्त इमरान के इकबालिया बयान के आधार पर वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है; इसलिए हिरासत में रखकर पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह दिनांक 06.05.2026 से जेल में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है, परंतु वे उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को संज्ञान में लेते हुए, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो **2025** एससीसी ऑनलाईन एससी **3038** के मामले में दिए गए निर्णय के अधिदेश और जमानत देने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **2024** एससीसी ऑनलाईन ऑल **6765** के मामले में दिए गए दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. उपरोक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- उमंग चौहान को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:—

i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख न हो और न ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए निष्ठापूर्वक विचारण/अन्वेषण में सहयोग करेगा।

iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध कारित करने में संलिप्त नहीं होगा।

iv. आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

9. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूओं की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

10. संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक के साथ-साथ प्रतिभूओं के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन किया जाना चाहिए।

11. यह आगे निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बोओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इन रि: सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रि.) संख्या **4 / 2021** निर्णय दिनांक **31.01.2023, (2024) 10** एससीसी **685** में रिपोर्टेड के साथ-साथ पिला पाहन उर्फ पीला पाहन व अन्य बनाम झारखंड राज्य व अन्य (आपराधिक) रिट याचिका संख्या **169 / 2025**, निर्णय दिनांक **29.05.2026** के मामले में दिए गए

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आदेश के अनुपालन में 24 घंटे के भीतर मेरठ जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रेज़न पोर्टल द्वारा तथा विचारण न्यायालय को इलेक्ट्रॉनिक मोड से इस आदेश की एक प्रति आवेदक को भेजी जाए।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, जे.)

2 जून, 2026

एस.ए.

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"